प्रेस विज्ञप्ति

दिनॉक 09.01.2023

आज दिनांक 09.01.2023 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा ग्रुप हाउसिंग विभाग की देयताओं, फ्लैट क्रेताओं के पक्ष में उप–पट्‌टा प्रलेख निष्पादित किए जाने की प्रगति, रिसेड्‌यूलमेंट पालिसी एवं वर्तमान में गतिमान ग्रुप हाउसिंग योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें महोदया द्वारा निम्न निर्देश दिए गएः–

- उप–पट्‌टा प्रलेख निष्पादन को गति प्रदान करने हेतु आम्रपाली कोर्ट रिसिवर एवं जिन बिल्डरों/आवंटियों को फ्लैटवार उप पट्‌टा प्रलेख की अनुमति प्रदान की गई है से समन्वय स्थापित कर वृहदरूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(पी0के0) एवं विशेष कार्याधिकारी (ग्रु0हा0) को निर्देशित किया गया।
- प्राधिकरण द्वारा देयता की वसूली हेतु ऐसे डिफाल्टर बिल्डर/आवंटी जिनके द्वारा अभी तक देयताओं का भुगतान नही किया जा रहा है, उनके विरूद्व लीज डीड की शर्तों एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही, जैसे भूखण्ड निरस्तीकरण, अविक्रीत यूनिट्‌स को सील किए जाने एवं बैक खाते को प्राधिकरण के साथ अटैच किए जाने की कार्यवाही की अविलंब की जाए।
- प्राधिकरण द्वारा देयताओं के पुर्ननिर्धारण की सुविधा आवंटियों हेतु लाई गई है, परन्तु अब तक सिर्फ दो बिल्डर/आवंटियों द्वारा देयताओं के पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन किया गया है, अन्य शेष आवंटियो को रिसेड्‌यूलमेंट सुविधा प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाए एवं तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलंब की जाए।
- प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रोजेक्टवार ओ0सी0, कम्पलीशन, देयताएं, विवादित/अविवादित होने की स्थिति, उप–पट्‌टा प्रलेख की अद्यतन स्थिति, को संपूर्ण विवरण के साथ अविलंब प्रदर्शित किया जाए।